

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर, सीकर  
पीठासीन अधिकारी - बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 32/2020

1. बजरंग सिंह आयु 65 वर्ष
2. नारायण सिंह आयु 62 वर्ष
3. मांगू सिंह आयु 62 वर्ष
4. कान सिंह आयु 62 वर्ष  
समस्त पुत्रगण स्व० श्री हीर सिंह
5. श्रीमती अन्तर कंवर आयु 50 वर्ष पत्नी स्व० श्री दान सिंह
6. धर्मपाल सिंह आयु 22 वर्ष
7. महिपाल सिंह आयु 20 वर्ष  
समस्त पुत्रगण स्व० श्री दान सिंह
8. गोकुल सिंह आयु 48 वर्ष
9. रामसिंह आयु 45 वर्ष
10. लक्ष्मण सिंह आयु 45 वर्ष  
समस्त जाति राजपुत निवासी ग्राम पारोडा तन हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड एवं उद्घोषणा

उपस्थित — श्री सोहन लाल सैनी वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक — 28.12.2020

संक्षेप में वाद वादीगण इस प्रकार है कि ग्राम पारोडा पटवार हल्का हथौरा स्थित भूमि खसरा नंबर 77,81 कुल किता 2 रकबा 1.70 है. की खातेदारी प्रथम सैटलमैन्ट के समय वादीगण के पिता एवं दादा /ससुर हीर सिंह पुत्र चन्द्र सिंह जाति राजपूत के नाम चली आ रही थी जो राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से सम्बत 2025 से 2028 के रिकॉर्ड में हीर




12  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सिंह पुत्र चन्द्र सिंह के स्थान पर हरि सिंह पुत्र चन्द्र सिंह दर्ज कर दी गयी जो कतई गलत है। वादीगण के पिता एवं दादा /ससुर हीर सिंह पुत्र चन्द्र सिंह जाति राजपूत की मृत्यु दिनांक 25.08.1999 को हो चुकी है। जिस कारण वादीगण को विरासतन नामान्तरकरण खुलवाने मे काफी हक तलफी है। प्रतिवादीगण को नाम दुरुस्ती हेतु निवेदन करने पर न्यायालय से वाद दायर कर आदेश लाने हेतु कहने पर वाद अन्दर न्यायालय क्षेत्र पैदा हुआ है। अतः वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के के पिता एवं दादा /ससुर का नाम हरि सिंह पुत्र चन्द्र सिंह के स्थान पर हीर सिंह पुत्र चन्द्र सिंह दुरुस्त किया जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

वादी का वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। बहस वकील वादी सुनी गयी।

बहस वकील वादी सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि ग्राम पारोडा पटवार हल्का हथौरा स्थित भूमि खसरा नंबर 77,81 कुल किता 2 रकबा 1.70 है. गत खसरा नंबर 53 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी जमाबन्दी संवत 2017-20 एवं संवत 2021-24 में हीर सिंह पुत्र चन्द्र सिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तथा जमाबन्दी संवत 2025-28 में बिना किसी सक्षम आदेश के हीर सिंह पुत्र चन्द्र सिंह के स्थान पर हरि सिंह पुत्र चन्द्र सिंह दर्ज कर दिया गया। वादीगण का कथन कि वादीगण के पिता एवं दादा /ससुर का वास्तविक नाम हीर सिंह पुत्र चन्द्र सिंह है एवं राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से हरि सिंह पुत्र चन्द्र सिंह दर्ज कर दिया है के समर्थन में वादीगण ने जमाबन्दी संवत 2017-20 एवं संवत 2021-24, मिलान क्षेत्रफल, सरपंच ग्राम पंचायत हथौरा का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रस्तुत किया है जिसमें वादीगण के पिता एवं दादा /ससुर का नाम हीर सिंह पुत्र चन्द्र सिंह दर्ज है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वाद वादी बाबत् रिकॉर्ड दुरुस्ती साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है।



  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमधोपुर (सीक्यू)

## आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम पारोडा पटवार हल्का हथौरा स्थित भूमि खसरा नंबर 77, 81 कुल किता 2 रकबा 1.70 है. में दर्ज खातेदार हरि सिंह पुत्र चन्द्र सिंह के स्थान पर हीर सिंह पुत्र चन्द्र सिंह दुरुस्त एवं दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(12)  
सहायक (कृषि) फास्ट ट्रैक  
श्रीमाधोपुर (सिकर)  
श्रीमाधोपुर  
श्रीमाधोपुर